फोन : 05262–232994

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज

गोण्डा (उ. प्र.)

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध

website : lbsdc.org.in

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु NEP-2020 से सम्बन्धित विशेष दिशा–निर्देश

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु उपलब्ध कोर्सेज–

बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0काम0, बी0सी0ए0, बी0एस–सी0, बी0एस–सी0 'गृह विज्ञान', बी0एस–सी0 'कृषि'

डॉ0 वन्दना सारस्वत

प्राचार्य

1. **NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगे । स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नियम लागू नहीं होंगे ।**

2. **प्रवेश की व्यवस्था-**
   * सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रथम प्रवेश पर ही करेगा ।
   * विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा ।
   * विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक–1) ।
   * इसके उपरान्त विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु प्रतिवर्ष के क्रम में (अर्थात प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में) एक माइनर/इलेक्टिव विषय किसी दूसरे विभाग/संकाय से लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जाएगा (सन्दर्भ – संलग्नक–1, विस्तृत विवरण पृष्ठ–3 पर बिन्दु–08) ।
   * प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण– पाठयक्रम लेना होगा (सन्दर्भ – संलग्नक–1) ।
   * प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम छह–सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यगामी (Co-curricular) विषय लेना होगा (सन्दर्भ – संलग्नक–1, विस्तृत विवरण पृष्ठ–06 पर बिन्दु–11) ।

3. **किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया -**
   * विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी । विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण– पाठयक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।
   * विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
   * विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
   * Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी । इस सुविधा का लाभ लेते हुए छात्र चयनित तृतीय मेजर विषय मात्र को ही परिवर्तित कर सकेगा ।

4. **डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/पाठयक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश -**
   * विद्यार्थी के लिए 'Certificate in Faculty' का Course Module अर्थात प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है । उक्त अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए पृथक–पृथक न्यूनतम 23–23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात 'Diploma in Faculty' में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा ।
   * विद्यार्थी के लिए 'Diploma in Faculty' का Course Module अर्थात तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है । इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पृथक–पृथक न्यूनतम 23–23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात 'Bachelor in Faculty' में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा ।
   * विद्यार्थी के लिए 'Bachelor in Faculty' का Course Module अर्थात पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है । इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर के लिए पृथक–पृथक न्यूनतम 23–23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात 'Bachelor (Research) in Faculty' में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा ।
   * किसी Course Module के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से 'पुनः परीक्षा' अथवा 'बैक पेपर परीक्षा' आयोजित नहीं की जाएगी । सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए 'पुनः परीक्षा' देना होगा ।
   * 'पुनः परीक्षा' का आयोजन 03 मुख्य विषयों और इलेक्टिव/माइनर विषयों के सन्दर्भ में ही किया जायेगा । वोकेशनल पाठयक्रम और सह–पाठयक्रम के लिए 'पुनः परीक्षा' का प्रावधान नहीं होगा ।

* Course Module के लिए निर्धारित अवधि के मध्य छात्र आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बार 'पुनः परीक्षा' दे सकता है।
* विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
* यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे 'बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन' की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें-

* विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव विषयों पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
* अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिए ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

6. परीक्षा व्यवस्था-

* सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
* सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन के आधार पर संपन्न की जायेगी।
* विभिन्न विषयों के पाठयक्रम में संस्तुत भिन्न–भिन्न व्यवस्थाओं को समरूपता की दृष्टि से संशोधित करते हुए सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित 25 प्रतिशत अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा–
  क. छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति के लिए 05 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे।
  ख. छात्र को प्रदान किये जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट –प्रेजेंटेशन के सापेक्ष 05 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे।
  ग. सम्बन्धित विषय में छात्र के मिड–सेमेस्टर क्लास–टेस्ट के सापेक्ष 15 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे। क्लास टेस्ट की उत्तर–पुस्तिका महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 02 माह आगे तक सुरक्षित रखी जाएगी।
  घ. सतत आन्तरिक मूल्यांकन की यह व्यवस्था कृषि एवं विधि संकाय के विषयों पर लागू नहीं होगी। तदसम्बन्ध में संबन्धित नियामक निकाय द्वारा संस्तुत व्यवस्था मान्य होगी।
* सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु–विकल्पीय आधार पर होगी।

7. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी। तद्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा -

* स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक–1)।
* द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा (सन्दर्भ – संलग्नक–1)।
* तृतीय वर्ष तक 138 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक–1)।
* चौथे वर्ष तक 194 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक–1)।
* पांचवें वर्ष तक 246 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर Master in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक–1)।
* छठे वर्ष तक 270 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान

परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर Post Graduate Diploma in Research प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक–1)।

* प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) अनुसंधान सम्बन्धी Research Thesis जमा करना होगा जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित कियें जाने की संस्तुति के आधार पर पी–एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक–1)।
* प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जाएगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।

8. माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन-

* माइनर विषय का स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन पात्रता के आधार पर किया जाना है। चूँकि यह पाठयक्रम दूसरे विभाग/संकाय से चयनित किया जाना है, अतः यह पाठयक्रम उस विभाग का नियमित पाठयक्रम ही होगा। उदाहरण स्वरूप– विज्ञान का छात्र विज्ञान संकाय से 03 मेजर कोर्स चयनित करने के बाद 01 माइनर कोर्स 'इंडियन कांस्टिटयूशन', जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठयक्रम/विभाग का विषय है अथवा 'माडर्न हिस्ट्री', जो कला संकाय के इतिहास पाठयक्रम/विभाग का विषय है, चयनित कर सकता है। वही छात्र 03 मेजर कोर्स विज्ञान संकाय से चयनित करने के साथ 01 माइनर विषय विज्ञान संकाय के दूसरे विभाग से भी चयनित कर सकता है।
* स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में prerequisite का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छात्र मेजर या माइनर के रूप में वही विषय चयनित कर सकते हैं, जिसके लिए वह prerequisite को qualify कर रहे हों।
* छात्र किसी पाठयक्रम के उन्हीं प्रश्नपत्रों को माइनर के रूप में चयनित करेगा जिसका सापेक्षिक क्रेडिट 4/5/6 हो।
* छात्र को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर विषय चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। उदाहरण के लिए– यदि छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय को माइनर के रूप में चयनित करता है तो उसकी परीक्षा उसे प्रथम सेमेस्टर में ही देनी होगी; वह यदि प्रथम के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर में माइनर विषय चयनित करता है तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी। समान व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी।
* छात्र यदि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में चयनित माइनर विषय की परीक्षा छोड़ देता है अथवा उसमें फेल हो जाने के बाद किसी दूसरे विषय को माइनर के रूप में लेना चाहता है तो वह द्वितीय सेमेस्टर में ऐसा कर सकता है।
* प्रवेश प्रक्रिया के समय छात्र द्वारा इंटरमीडिएट के विषय वर्ग (यथा– कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग) के साथ उसके द्वारा इन्टर में चयनित विषय (यथा– विज्ञान वर्ग के लिए विषय समूह 1–गणित, भौतिकी, रसायन, 2– रसायन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, 3– गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर विज्ञान इत्यादि) को ध्यान में रखते हुए मेजर/माइनर/इलेक्टिव विषय के चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
* शासन द्वारा सन्दर्भित प्रत्येक विषय के पाठयक्रम में यह अंकित है कि सम्बन्धित प्रश्नपत्र को कौन से छात्र माइनर के रूप में ले सकते हैं; तथापि सुलभ सन्दर्भ हेतु विश्वविद्यालयीय व्यवस्था को देखते हुए मात्र सत्र 2021–22 के प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची निम्नवत प्रस्तुत की जा रही है। आगामी सेमेस्टर/सत्रों के लिए पृथक से सूची जारी की जाएगी।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची

Minor elective Subjects available in the college:

S. No.	Subject	Course Code	Minor/ Elective Paper	Availability	Credit
1.	History	A050101T	Ancient and Early Medieval India (till 1206 AD)	Open for all	6
2.	Commerce	C010101T	Business Organisation	Open for all	6
3.	Commerce	C010102T	Business Statistics	Open for all	6
4.	Commerce	C010103T	Business Communication	Open for all	6
5.	Commerce	C010104T	Introduction to computer application	Open for all	6
6.	English	A040101T	English Prose and Writing Skills	Open for all	6
7.	Sanskrit	A020101T	संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण	Open for all	6

8.	Hindi	A010101T	हिन्दी काव्य	Open for all	6
9.	Botany	B040101T	Microbiology and plant pathology	Biology in 12th	4
		B040102P	Techniques in microbiology and plant pathology	Biology in 12th	2
10.	Chemistry	B020101T	Fundamentals of Chemistry	Chemistry in 12th	4
		B020102P	Quantitative Analysis	Chemistry in 12th	2
11.	D&SS	A120101T	Conceptual Aspects of War	Open for all	4
		A120102P	Basics of Operational Exercises-1	Open for all	2
12.	Geography	A110101T	Physical Geography	Open for all	4
		A110102P	Elements of Map and Surveying	Open for all	2
13.	Mathematics	B030101T	Differential Calculus and Integral Calculus	Mathematics in 12th	4
		B030102P	Mathematics Practical	Mathematics in 12th	2
14.	Physics	B010101T	Mathematical Physics and Newtonian Mechanics	Physics or Maths in 12th	4
		B010102P	Mechanical Properties of Matter	Physics or Maths in 12th	2
15.	Political Science	A060101T	Indian National Movement and Constitution of India	Open for all	4
		A060102P*	Awareness of Rights and Laws	Open for all	2
16.	Psychology	A090101T	Basic Psychological Processes	Open for all	4
		A090102P	Psychology Lab Work	Open for all	2
17.	Sociology	A070201T	Society in India: Structure, Organisation & Change	Open for all	4
		A070202P*	Writing Skill Development on topics of Contemporary Sociological Importance	Open for all	2
18.	Zoology	B050101T	Cytology, Genetics and Infectious Diseases	Biology in 12th	4
		B050102P	Cell Biology and Cytogenetics Lab	Biology in 12th	2
19.	Economics	A080101T	Principles of Micro Economics	Open for All	6
20.	Education	E010101T	Conceptual Framework of Education	Open for all	4
		E010102P*	Practical: Read the Preamble of Indian Constitution, understand and analyze its basic ideas of Justice, Equality, Liberty and Fraternity. Prepare a report and present what you have conceptualized (Tutorial + Assignment)	Open for all	2
21.	Home Science	A130101T	Fundamentals of Nutrition and Human Development	Open for all	4
		A130102P	Cooking Skills and Healthy Recipe Development	Open for all	2
22.	Physical Education	E020101T	Essentials of Physical Education	Open for all	4
		E020102P	Fitness and Yoga	Open for all	2

उक्त सूची में प्रायोगिक विषयों के सन्दर्भ में छात्र को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह सम्बन्धित विषय के मात्र सैद्धान्तिक अंश का अध्ययन कर 4 क्रेडिट प्राप्त करें या सैद्धान्तिक के साथ प्रायोगिक अंश का भी अध्ययन कर 6 क्रेडिट प्राप्त करें। तारांकित (*) प्रायोगिक अंश के सन्दर्भ में मात्र आन्तरिक परीक्षक द्वारा आंकिक परीक्षण किया जायेगा।

9. स्नातक प्रथम-सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए Prerequisite (पात्रता) -

* विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाईस्कूल/इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
* कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा, किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है अथवा हाई–स्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
* वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा।
* कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा, किन्तु यदि छात्र ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
* व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा, किन्तु यदि छात्र ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

10. कला संकाय/विज्ञान संकाय के पाठयक्रमों हेतु विषय-संयोजन -

* कला संकाय के अंतर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के लिए Subject Combination (विषय–संयोजन) के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय पत्रांक लो0अ0वि0/शैक्ष0/2018/11078 दिनांक 03–07–2018 के द्वारा प्रदान की गयी पूर्ववर्ती व्यवस्था को तृतीय मेजर विषय, इलेक्टिव/माइनर विषय, अनिवार्य सहगामी विषय और रोजगार परक विषय के चयन के लिए लागू किये जाने वाले नए नियमों की सीमा तक संशोधित करते हुए लागू किया जाना है।
* तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कला संकाय के विषयों को तीन समूहों (समूह–अ, समूह–ब, समूह–स) में विभाजित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत इनके चयन सम्बन्धी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रारम्भिक रूप से यह नियम सत्र 2021–2022 हेतु प्रभावी है। आगामी सत्रों हेतु इन नियमों को आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

समूह–अ (भाषा/साहित्य)	समूह–ब (प्रायोगिक विषय)	समूह–स (सामाजिक विज्ञान)
1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत	1. भूगोल 2. मनोविज्ञान 3. शारीरिक शिक्षा (स्व वि0पो0) 4. गृहविज्ञान (स्व वि0पो0) 5. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	1. शिक्षा शास्त्र 2. अर्थशास्त्र 3. राजनीति शास्त्र 4. समाजशास्त्र 5. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास

नोट :

a. प्रत्येक विद्यार्थी 'कला संकाय' के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।
b. विद्यार्थी समूह 'अ', 'ब' और 'स' में किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकता है। किसी एक समूह से तीन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा।
c. विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन नहीं करेगा।
d. विद्यार्थी दो से अधिक प्रायोगिक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

* समान प्रकिया विज्ञान संकाय के विषयों के सन्दर्भ में भी अनुपालित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विज्ञान संकाय के विषयों को तीन समूहों (Group-A, Group-B, Group-C) में विभाजित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत इनके चयन सम्बन्धी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत हैं। प्रारम्भिक रूप से यह नियम सत्र 2021–2022 हेतु प्रभावी है। आगामी सत्रों हेतु इन नियमों को आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

Group-A	Group-B	Group-C
1. Physics 2. Mathematics	1. Chemistry 2. Defence & Strategic Studies	1. Botany 2. Zoology

नोट :

a. प्रत्येक विद्यार्थी 'विज्ञान संकाय' के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

b. Prerequisite को Qualify करने की दशा में विषय–संयोजन के लिए विद्यार्थी Group-A या Group-B या Group-C से पृथक – पृथक न्यूनतम 02 अथवा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।

c. Prerequisite को Qualify करने की दशा में विद्यार्थी विषय–संयोजन के लिए Group-A और Group-B से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।

d. Pre-requisite को Qualify करने की दशा में विद्यार्थी विषय–संयोजन के लिए Group-B और Group-C से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।

e. छात्र द्वारा Group-A और Group-C के विषय सम्मिलित रूप से विषय–संयोजन के लिए चयनित नहीं किये जायेंगे।

f. Group A के विषयों के चयन के लिए विद्यार्थी Prerequisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Physics और Mathematics विषयों का अध्ययन किया हो।

g. Group B के विषयों में से Chemistry विषय के चयन के लिए विद्यार्थी Prerequisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Chemistry विषय का अध्ययन किया हो।

h. Group C के विषयों के चयन के लिए विद्यार्थी Prerequisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Biology विषय का अध्ययन किया हो।

11. अनिवार्य सहगामी पाठयक्रम (Co-curricular)-

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठयक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन–अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत होगा–

* प्रथम सेमेस्टर : संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)
* द्वितीय सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytical Ability and Digital Awareness)
* तृतीय सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
* चतुर्थ सेमेस्टर : मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
* पंचम सेमेस्टर : खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
* षष्ठम सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ (First Aid and Health)

12. परीक्षा शुल्क -

* 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया में वर्तमान में वार्षिक आधार पर संचालित समस्त पाठयक्रम सत्र 2021–22 से प्रारम्भ करते हुए अगले 05 वर्षों में सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित हो जायेंगे। इस कारण सत्र 2021–22 में स्त्रातक प्रथम वर्ष से प्रारम्भ कर क्रमागत वर्षों में सम्बंधित पाठयक्रमों की वर्ष में दो बार परीक्षाएं संपन्न करानी होंगी, अत: विश्वविद्यालय के अन्य संचालित सेमेस्टर पाठयक्रमों में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा–शुल्क जमा कराये जाने की व्यवस्था तद्सम्बंध में भी जारी रहेगी।

13. संलग्नक -

* उच्च–शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के दृष्टिगत स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठयक्रमों के सन्दर्भ में प्रस्तावित संरचना को समग्रता से निर्दिष्ट करने वाली 'तालिका' सुलभ सन्दर्भ हेतु पृष्ठ 07 पर संलग्न है। उक्त तालिका मूल रूप में 'उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद' की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्नक-01

Proposed Year-wise Structure of UG/PG Programs (04-12-2020)

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/Project	Credits		(Min.-Max. Total Credits) After completion {Minimum Credits} [Max Duration in years]
		Major	Major	Major	Minor/ Elective	Minor	Minor	Major			
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/6/8 Credits			
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Other Department/Faculty	Vocational Faculty	Co-Curricular Course	Inter/Intra Faculty related to main Subject	Total	Min.-Max. of the semester/ year	
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29	(50-52) {46} [4] Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29 (50-52)	
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29	(100-104) {92} [7] Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29 (50-52)	
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25	(150-154) {138} [10] Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25 (50)	
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (6)	20+(0/4/5/6)+6	26-32	(206-212) {194} [12] Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+(0/4/5/6)+6	26-32 (56-58)	
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26	(258-264) {246} [16] Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26 (52)	
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (8)	16+8		(270) [4] PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Research			Ph.D. in Subject

Notes: (a) 1, 2 & 5 are the number of courses/papers in that semester of that subject. **(b)** Credits are given in () brackets. **(c)** A student willing to take admission to the first year of Higher Education program after 12th class, will have to choose a Faculty with two main (Major) subjects for first year. Eligibility to such choice will have pre-requisites. Apart from two major subject (s)he has to choose in each semester one more (Major) subject of any faculty, one minor/ elective course of other faculty, one vocational course of his choice and one compulsory co-curricular course.